न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 02.01.2018
GCMS NO. :-2018/00003

1–ताज मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान, आयु बालिग, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–रफीक मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान, आयु बालिग, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) **(नामतर्की)**
3–नूर मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान आयु बालिग, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–सलीम मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान, आयु बालिग, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–शरीफ मोहम्मद उर्फ गुड्डू खां पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान, आयु बालिग, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थीगण

बनाम

अम्बालाल पिता हजारी लाल मोची, आयु बालिग, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, कपासन, प्रकरण संख्या 03/2014 रे. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णय दिनांक 29.12.2017

उपस्थितिः– 1– श्री अविनाश नैनीवाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2– श्री गौरव परमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

प्र. सं. 01/2018 (रा. अ.)
ताज मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान निवासी कपासन वगैरा बनाम अम्बालाल पिता हजारी लाल मोची निवासी कपासन, तहसील कपासन

निर्णय

दिनांक 14.09.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.05.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि उसके आराजी नम्बर 6992/5747 रकबा 0.04 हैक्टेयर मौजा कपासन बिलानाम आबादी व सड़क में दर्ज होने से राज्य सरकार के विरूद्ध खातेदारी की घोषणा का दावा सहायक कलेक्टर कपासन के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो मुकदमा नम्बर 66/97 रे. वाद दर्ज होकर दिनांक 04.02.1997 को डिक्री किया गया व रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया मगर उक्त भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया जाकर अपीलाण्ट्स के पिता वजीर मोहम्मद को रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. हाजरी मोची ने विक्रय कर दिया था और उन्होने सन् 1982 से पूर्व ही इस पर मकान बना लिया था व परिवार सहित निवास कर रहे थे तथा नल व बिजली के कनेक्शन भी ले रखे थे व उक्त भूमि आबादी में दर्ज थी। अतः अपीलाण्ट्स ने उक्त डिक्री निरस्त कराने की कार्यवाही की जिस पर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने मु. नं. 4231/2005 रे. अ. निर्णय दिनांक 09.04.2008 के जरिये मु. नं. 66/97 रे. वाद में जारी डिक्री को अपास्त कर दिया व अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादपत्र का निर्णय करने का आदेश हुआ तथा उक्त प्रकरण वर्तमान में एस. डी. ओ. कोर्ट कपासन में मुकदमा नम्बर 241/2008 रे. वाद विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट्स के विरूद्ध कब्जेयाबी आराजी का अनुतोष चाहा है। चूंकि मुकदमा नम्बर 66/97 रे. वाद में डिक्री को अपास्त कर दिया है तथा अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर वादपत्र का निर्णय करने का आदेश राजस्व मण्डल द्वारा हुआ और वर्तमान में उक्त प्रकरण एस. डी. ओ. कोर्ट कपासन में मुकदमा नम्बर 241/2008 रे. वाद विचाराधीन है फिर भी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय

प्र. सं. 01/2018 (रा. अ.)
ताज मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान निवासी कपासन वगैरा बनाम अम्बालाल पिता हजारी लाल मोची निवासी कपासन, तहसील कपासन

में अपीलाण्ट्स के विरूद्ध धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही संस्थित कर दी जबकि रेस्पोडेन्ट इस दिन उक्त आराजीयात का खातेदार ही नहीं था और उसको यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एस. डी. ओ. कोर्ट के आदेश की पालना किए बिना पद का दुरूपयोग करते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट्स के विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.12.2017 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव परमार ने अधिकार पत्र एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि उक्त अपील आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत हुआ है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 183-बी की मियाद 12 वर्ष अंकित कर रखी है जो कानूनन होकर बाध्यकारी है। अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कब्जा 30 वर्षों से होकर पिता वजीर मोहम्मद के समय से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं जिनमें विद्युत व नल कनेक्शन ले रखा है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट व उसके पिता को है फिर भी रेस्पोडेन्ट के उक्त रेकॉर्डेड तथ्य को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के साथ छल-कपट करने की नियत से यह आवेदन पेश किया है जो मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने आराजी नम्बर 5747 को अपने खातेदारी की बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके पुराने नम्बर 1796 और 1825 होना बताया है जबकि उक्त आराजीयात के पुराने नम्बर 1796 एवं 1825 बिलानाम आबादी व सड़क दर्ज है जो जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट ने आराजी नम्बर 6992/5747 रकबा 0.04 हैक्टेयेर बिलानाम व सड़क में दर्ज होने से खातेदारी घोषणा का दावा सहायक कलेक्टर कपासन में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 66/97 रे. वाद दर्ज हुआ जिसमें अपीलांट्स पक्षकार

नहीं थे जो दिनांक 04.02.1997 को डिक्री होकर रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया गया। चूंकि उक्त भूखण्ड अपीलांट्स के पिता वजीर मोहम्मद को रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी मोची ने रूपान्तरण करा विक्रय कर दिया जिस पर दिनांक 27.04.1982 से पूर्व ही मकान बना परिवार सहित निवास कर रहे थे व नल एवं बिजली के कनेक्शन भी ले रखे थे जिससे सिद्ध है कि उक्त भूमि आबादी में दर्ज थी जिससे उक्त डिक्री को अपास्त कराने हेतु अपीलांट्स द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जरिये मुकदमा नम्बर 4231/2005 रे. अ. प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 09.04.2008 को निर्णय पारित होकर उक्त डिक्री दिनांक 04.02.1997 को निरस्त कर दिया तथा अपीलांट्स को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर वाद पत्र का निर्णय करने का आदेश पारित हुआ जो वर्तमान में एस. डी. ओ. कोर्ट कपासन में मुकदमा नम्बर 241/2008 रे. वाद. दायर होकर विचाराधीन है चूंकि मुकदमा नम्बर 66/97 में जारी डिक्री अपास्त होकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है जिससे अपीलांट्स द्वारा एस. डी. ओ. कोर्ट कपासन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी. पी. सी. का पेश कर राजस्व रेकार्ड की दावा से पूर्व की स्थिति पुनः कायम करने व जमीन बिलानाम आबादी दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 22.01.2009 को उक्त आराजीयात को बिलानाम आबादी में दर्ज करने के आदेश दिये जिसकी पालना हेतु तहसीलदार कपासन को दिनांक 27.01.2009 को आदेश भी जारी किये किन्तु उक्त आदेश की पालना नहीं होने से उक्त जमीन रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज रह जाने से रेस्पोडेन्ट ने यह धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यवाही संस्थित कर दी जबकि इस दिन रेस्पोडेन्ट खातेदार ही नहीं था और उसे यह कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी एस. डी. ओ. कोर्ट कपासन के आदेश दिनांक 27.01.2009 को प्रशासकीय आदेश मानकर उसकी कोई पालना नहीं की और अपीलांट्स के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183-बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार करते हुए अपीलांट्स को बेदखल करने व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो

अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी एवं कब्जेयाबी कृषि भूमि ग्राम कपासन, पटवार हल्का कपासन में जिसके आराजी नम्बर 6992/5747 रकबा 0.04 है. स्थित है। रेस्पाडेन्ट जाति से मोची होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अपीलाण्ट्स जो कि जाति से मुसलमान होकर स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं जिन्होनें रेस्पाडेन्ट की उक्त 0.04 हैक्टेयर में से 0.03 है. भूमि पर अवैध तरीके से नाजायज कब्जा कर लिया है, जो गैर-कानूनी है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा नियमों के विरूद्ध कब्जा किया जाता है तो किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त कराये। विवादित आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी अनुसार रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि का रेस्पोडेन्ट खातेदार है। रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी लाल मोची द्वारा सन् 1981 में उक्त विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा विवादित भूमि पर कार्य करवाने से हजारी लाल मोची को नोटिस जारी किया इस बाबत प्रकरण तहसीलदार कपासन के यहां चला जिसमें अपीलांट्स के पिता वजीर मोहम्मद ने बयान दिया था कि विवादित भूमि हजारी लाल मोची की है और वजीर मोहम्मद को केवल कार्य की देखरेख हेतु रखा गया था। अपीलाण्ट्स के पिता वजीर मोहम्मद ने तहसीलदार के यहां चले प्रकरण में लिखित में जवाब दिया था कि जैर बहस आराजीयात पर काम तामीर हजारी लाल मोची चला रहा है और मैं तो केवल देखरेख कर रहा हूँ तथा उक्त प्रकरण में हजारी लाल मोची ने बयान दिया था कि उक्त विवादित भूमि मेरी ही है और इस पर मैं ही काम चला रहा हूँ, वजीर मोहम्मद को मैंने केवल काम की देखरेख हेतु रखा हुआ है। अपीलांट्स के पिता वजीर मोहम्मद की नीयत खराब होने तथा हजारी लाल मोची से विवादित भूमि हड़पने की नियत से कब्जा कर लिया इस प्रकार अपीलाण्ट्स के पिता एवं वर्तमान में अपीलाण्ट्स द्वारा किया गया

कब्जा अवैध व गैर कानूनी होने से अपीलाण्ट्स बेदखली के अधिकारी है। अपीलाण्ट्स ने अपील में कथन किया है कि हजारी लाल मोची ने अपीलाण्ट्स को उक्त विवादित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करा विक्रय कर दी थी जबकि अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय में भूमि का रूपान्तरण होने, विक्रय होने अथवा उन्हें हजारी द्वारा कब्जा संभलाने आदि का कोई रेकार्ड पेश नहीं किया। उक्त विवादित आराजीयात आज भी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम बहैसियत खातेदारी में कृषि भूमि अंकित है। अपीलाण्ट्स ने आदेश दिनांक 27.01.2009 से उक्त विवादित आराजीयात को बिलानाम दर्ज करने संबंधी कथन किया है उक्त आदेश किसी न्यायालय द्वारा दानों पक्षों की सुनवाई करके पारित किया गया आदेश नहीं होकर एक प्रशासनिक आदेश है जो कोई अहमियत नहीं रखता है। अपीलाण्ट्स ने अपना विधिक कब्जा होने का कोई दस्तावेज, प्राधिकार पत्र अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जबकि उक्त विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की कृषि भूमि होकर रेस्पोडेन्ट उसका रेकार्डेड खातेदार है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में धारा 183-बी का उद्धेश्य दलित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध किये जा रहे अत्याचार, नाइंसाफ से उनको मुक्ति दिलाना तथा उनकी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किऐ गए अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पुनः भूमि उन्हें दिलाना बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज फरमाई जावे तथा रेस्पोडेन्ट की विवादित भूमि पर से अपीलाण्ट्स को बेदखल किए जाने के साथ ही अपीलाण्ट्स से रेस्पोडेन्ट को उचित मुआवजा एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं उभय पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपीलाण्ट्स तथा उनके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मियाद बाहर होते हुए भी स्वीकार करने में त्रुटि करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना

चाहेंगे कि प्रकरण जायदाद से संबंधित है एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों से प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारतापूर्ण देखा जाना चाहिऐ साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2005(1) उगम सिंह बनाम दुलाराम पेज 611 से 621 में उल्लेखित दृष्टांतों में भी विवादित भूमि के संबंध में जो इकरारनामा 'चूनाराम पुत्र मेवाराम' द्वारा दिनांक 16.08.1953 को लिखा गया होना बताया केवल इस इकरारनामे के आधार पर तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि पर वर्तमान प्रार्थीगण का 40-50 वर्षों से कब्जा होना तथा 12 वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के आधार पर 183-बी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में वैधानिक त्रुटि माना है। उसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स ने विवादित आराजीयात पर उनका वर्ष 1982 से कब्जा होकर 30 वर्ष से भी पुराना कब्जा होने संबंधी कथन करते हुए प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने का कथन किया है जबकि कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेज अथवा भूमि विक्रय करने संबंधी इकरारनामा अथवा भूमि रूपान्तरण आदेश इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अनाधिकृत कब्जे को आधार मानते हुए अतिक्रमी को भूमि से बेदखल किए जाने में 12 वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र पेश होना आवश्यक नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद मानकर उसका निस्तारण किया है जिसमें हम कोई विधिक-त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अन्तर्गत हमने अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कपासन से जारी सत्य प्रतिलिपि जो तहसीलदार कपासन के न्यायालय में वर्ष 1981 चली कार्यवाही के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण संख्या 81/1981 में अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा पेश जवाब एवं शपथ पत्रों का अवलोकन किया जिसमें अपीलाण्ट्स के पिता वजीर मोहम्मद ने जवाब पेश किया है कि ''जैर बहस आराजीयात पर कामतामीर हजारी मोची चला रहा है मैं नहीं चला रहा हूँ चूंकि उसकी ही जमीन है उसको नोटिस दिया जावे। मेरे को नोटिस गलत दिया गया है केवल मैं तो देखरेख में था व कामतामीर बन्द है'' जबकि रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी मोची ने बयान दिए हैं कि ''कस्बा कपासन की आ. नं. 1895/3

भूमि मेरे नाम पर है यह जमीन मैंने किसी को नहीं बेची है इस जमीन मे जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह मैंने ही निर्माण कार्य बनाया है मैने किसे से कोई इजाजत नहीं ली है कब्जा मेरा ही है वजीर मोहम्मद को मैने कार्यतामीर के देखरेख हेतु रखा हुआ है।'' अतः उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी लाल मोची का अधिकार व तात्कालिक समय कब्जा होना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अपीलाण्ट्स ने उक्त विवादित आराजीयात रूपान्तरित होकर रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी द्वारा अपीलाण्ट्स के पिता वजीर मोहम्मद को विक्रय करने का कथन किया है जबकि अपने कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय में अथवा इस न्यायालय में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, पंजीकृत विक्रय-विलेख अथवा अपीलाण्ट्स के पिता के पक्ष में रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा किया गया इकरारनामा आदि पेश नहीं किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति अर्थात् सवर्ण के व्यक्ति को कृषि भूमि का विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार प्रतिबंधित की श्रेणी मे आता है। अपील प्रार्थना में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2064-67 में खसरा संख्या 6992/5747 रकबा 0.04 हैक्टेयर में खातेदार श्री हजारी पिता चुनीलाल मोची अंकित है। साथ ही अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र भी पेश किया है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट जो कि स्वर्ण जाति का है व रेस्पोडेन्ट जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसकी जमीन क्रय इत्यादि नहीं कर सकता है एवं कब्जे के आधार पर भी 'Right of Record' का दावा भी नहीं कर सकता है। इसके साथ अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी की किस्म सम्परिवर्तन करा अपीलांट को विक्रय कर दिया स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा सम्परिवर्तन आदेश, विक्रय इकरारनामा, रजिस्ट्री या जमाबन्दी सहित ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त कथन साबित हो सके। इसके विपरीत तहसीलदार न्यायालय में पूर्वोक्त वाद 81/1981 में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा दिये गये बयानों में स्वीकारोक्ति की गई है कि उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की है। अतः राजस्व रेकार्ड व रेस्पोडेन्ट द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों एवं बहस के कथनों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का हकदार व रेकार्डेड खातेदार रेस्पोडेन्ट है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के तहत वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के नाम किसी भी प्रकार दर्ज नहीं की जा सकती। एक रेकार्डेड खातेदार होने के नाते रेस्पोडेन्ट को अपनी आराजीयात से अतिक्रमी को हटाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) के तहत मुकदमा दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है। अपीलांट द्वारा इस पर ऐतराज जताना उचित नहीं है।

अपीलांट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, कपासन द्वारा अपने प्रकरण में धारा 144 के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजीयात पुनः बिलानाम दर्ज करने के दिनांक 27.01.2009 को आदेश पारित करने का कथन किया है जबकि अपीलांट्स द्वारा अपने कथन की पुष्टि में न्यायालय सहायक कलेक्टर, कपासन के उक्त प्रकरण जिसमें धारा 144 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित आराजीयात पुनः बिलानाम दर्ज करने संबंधी आदेश पारित किया हो, की कोई प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है तथा न ही उक्त प्रकरण का कोई नम्बर अंकित किया है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमि की किस्म परिवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्णय या आदेश से संभव है प्रशासकीय आदेश की अवहेलना Contempt Of Court की श्रेणी में नहीं आता है।

वर्तमान में जमाबन्दी अनुसार उक्त विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट विवादित आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार है चूंकि भूमि अनुसूचित जाति की श्रेणी के व्यक्ति की है तो बिना सम्परिवर्तन के जमीन स्वर्ण व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं हो सकती। अपीलांट्स स्वर्ण जाति का है अतः उक्त वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स के नाम कानूनन दर्ज नहीं हो सकती। अपीलांट्स इस वादग्रस्त आराजी को आबादी की मानते हुए कब्जे इत्यादि के आधार पर अपना हक जमा रहा है जबकि वर्तमान में भूमि, कृषि भूमि होकर अनुसूचित जाति की श्रेणी के व्यक्ति की है जिससे साबित होता है कि उक्त भूमि आबादी नहीं होकर कृषि भूमि है तथा अपीलांट्स इस पर कोई हक व अधिकार नहीं रखता है।

प्र. सं. 01/2018 (रा. अ.)
ताज मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद मुसलमान निवासी कपासन वगैरा बनाम अम्बालाल पिता हजारी लाल मोची निवासी कपासन, तहसील कपासन

जहां तक अपीलांट्स ने राजस्व मण्डल द्वारा अपने मुकदमा नम्बर 4231/2005 रे. अ. में निर्णय दिनांक 09.04.2008 से सहायक कलेक्टर के मुकदमा नम्बर 66/97 रे. वाद में पारित डिक्री दिनांक 04.02.1997 को निरस्त कर अपीलांट्स को पक्षकार कायम कर उन्हें सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश दिए जाने एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर, कपासन में मु. नं. 241/2008 दर्ज होकर विचाराधीन होने से उक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183–बी चलने योग्य नहीं होने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही होकर किसी भी न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन होते हुए भी स्थगित नहीं की जा सकती है तथा एक संक्षिप्त जांच करते हुए अतिचारी को सुनवाई का अवसर देकर निर्धारित समय में निर्णय पारित किए जाने के प्रावधान है। यहां धारा 183 (बी) का अवलोकन किया जाना उचित होगाः–

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183-बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत **(person or persons entitled to admit trespasser as tenant)** था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (**1970 RRD 387**) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली **"entitled to admit"** को विलोपित कर शब्दावली **"entitled to eject"** प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183-बी जोड़ी गयी। धारा 183-बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183-बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183-बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक-आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता का परिणाम

है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183-बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन **(statement of Objects and Reasons)** में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।

अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः-

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये **(A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority)** है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

धारा 183 (बी) की उपरोक्त शर्तें हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होती हैं। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय नारायण बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, **2006 (5) RRD 2870** (राजस्थान) में यह प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जाति द्वारा गैर अनुसूचित जाति को भूमि का अन्तरण शून्य है। अपीलांट्स द्वारा विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट के पिता हजारी द्वारा अपने पिता वजीर मोहम्मद को विक्रय करने का कथन किया है वह अवैध शून्य है तथा अपने कथन की पुष्टि में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने धारा 183 (बी) के तहत डी.बी.स्पेशल अपील

(रिट नं. 642/2004) उगम सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 07.05.2014 में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 183 (बी) का उद्धेश्य दलित, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के व्यक्तियों के विरूद्ध किये जा रहे अत्याचार, नाइंसाफ से उनको मुक्ति दिलाना है और उनकी भूमि वापस दिलाई जाना है ताकि वे भी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 6992/5747 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बीड प्रथम वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट उक्त विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जिसके खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं हुआ है तथा न ही उक्त विवादित आराजीयात कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु रूपान्तरित होना प्रतिवेदित है जिस पर अपीलांट्स का अवैधानिक रूप से कब्जा सिद्ध है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 में हम कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाते हैं। निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट हर्जे-खर्चे स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)